संख्या-453/2020/1762/69-1-20-40(सा)/2001

प्रेषक,

डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अनु सचिव/आहरण वितरण अधिकारी,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0, शासन।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग। **लखनऊ : दिनांक : 12 अक्टूबर, 2020**

विषय: राज्य स्तर पर गठित एक प्रकोष्ठ के अधिष्ठापन व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत राज्य स्तर पर एक प्रकोष्ठ के गठन के अधिष्ठापन व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 10.08 लाख में से वेतन, मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते मद में प्रथम 06 माह (माह अप्रैल, **2020** से सितम्बर, **2020** तक की अवधि के लिए) रू0 5.04 लाख (रूपये पांच लाख चार हजार मात्र) की धनराशि शासनादेश संख्या-439/2020/971/69-1-20-40(सा)/2001 दिनांक 30 अप्रैल, **2020** द्वारा नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने हेतु जारी की गयी थी। अतएव अवशेष 06 माह (माह अक्टूबर, **2020** से मार्च, **2021** तक) की अवधि के लिए निम्नलिखित मद में रू0 5.04 लाख (पांच लाख चार हजार मात्र) की धनराशि नियंत्रक अधिकारी, नगर विकास विभाग के निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

	मद	बजट में प्राविधान	अवशेष 06 माह के लिए स्वीकृत की जा रही धनराशि
01	वेतन	7.12	3.56
03	मंहगाई भत्ता	1.78	0.89
06	अन्य भत्ते	1.18	0.59
52	पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	----	-----
	योग	**10.08**	**5.04**

(रूपये पांच लाख चार हजार मात्र)।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक **"2230-श्रम रोजागर और कौशल विकास-02-रोजगार सेवाएं-101-रोजगार सेवाएं-0101-राज्य स्तर पर एक प्रकोष्ठ का गठन**" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं समय-समय पर जारी आदेशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

-2/

http://shasnadesh.up.nic.in

<u>संख्या-453/2020/1762(1)/69-1-20 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
3. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
5. नगर विकास अनुभाग-5/8, उ0प्र0 शासन।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ को 02 अतिरिक्त प्रति सहित।
7. मुख्य कोषाध्यक्ष, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
9. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)

उप सचिव।

http//shasnadesh.up.nic.in